जुलाई 2025
वर्ष 39 संख्या 7
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

इजराइल–ईरान युद्धविराम पर भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी का वक्तव्य

मध्य पूर्व के असली सवाल को हल करो फिलिस्तीनी जनसंहार को रोको और फिलिस्तीन की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करो

22 जून की सुबह, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के तीन परमाणु स्थलों पर बम गिराए। इसके दो दिन बाद, 24 जून की सुबह उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच युद्धविराम की घोषणा की। इस घोषणा को इजराइल के नेतन्याहू ने समर्थन दिया और ईरान ने भी इसे स्वीकार किया, जैसा कि ईरानी प्रसारण संस्था ने बताया।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह भी कहा कि 23 जून की शाम ईरान द्वारा कतर स्थित अमेरिकी अल–उदीद सैन्य अड्डे पर किए गए हमले का अमेरिका जवाब नहीं देगा क्योंकि ईरान ने हमले की पूर्व सूचना दे दी थी। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की है कि उसने कतर को पहले ही सूचित कर दिया था। इस युद्धविराम ने ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध को रोक दिया है और यह दोनों देशों में हो रही नागरिक हत्याओं को विराम देता है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने महत्वपूर्ण चुनावी वायदा तोड़ते हुए ईरान पर बम गिराए, जबकि उन्होंने किसी नए युद्ध में शामिल न होने का वायदा किया था। उनके इस कदम का विपक्षी डेमोक्रेट्स और उनके "मेक अमेरिका ग्रेट अगेन" (MAGA) धड़े के हिस्सों ने विरोध किया। जब बमबारी से कोई लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो ट्रम्प ने नुकसान को सीमित रखने के लिए शांति की पहल की। इस प्रक्रिया में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

यह युद्धविराम इजराइल की ईरान पर आक्रमण की दुस्साहसी योजना के इस चरण का अंत है। उनके मिसाइल रक्षा कवच पर अति–आत्मविश्वास की हवा निकल गई है। उन्हें ईरान पर थोपे गए युद्ध को रोकना पड़ा है। यह युद्धोन्मादी जायोनिस्ट नेतन्याहू शासन की पराजय है। यह ईरान की जनता की जीत है, जिसने पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों की तरफ से उसका "गंदा काम" करने वाली इस खूनी युद्ध मशीन का डटकर सामना किया। नेतन्याहू और उनका जायोनिस्ट गिरोह, युद्ध के प्रयास में विफलता और खून से लथपथ चेहरे के साथ अब इस शांति को कैसे संभालेगा, यह उनके लिए बड़ी चुनौती है।

ईरान पर अमेरिका और इजराइल के इस संयुक्त हमले की क्षेत्र के देशों, दुनिया के गैर–अमीर देशों, रूस, चीन और पश्चिम एशिया की प्रतिरोधी ताकतों (जैसे यमन के हूती) ने कड़ी निंदा की है। यह अमेरिका की वर्चस्ववादी ताकत के एक कमजोर लेकिन खतरनाक प्रयास का हिस्सा था, जो बहुध्रुवीय विश्व की स्थिति में विफल हो गया।

हालाँकि ईरान पर इजराइल का हमला फिलहाल समाप्त हुआ है, लेकिन मध्य पूर्व का असली सवाल यानी फिलिस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों की लड़ाई आज भी जस की तस बनी हुई है। एक फिलिस्तीनी वेबसाइट के अनुसार, गजा में अब तक 55,959 फिलिस्तीनी मारे गए, 1,31,242 घायल हुए, और 14,000 लोग लापता हैं। इनमें वेस्ट बैंक में मारे या अपंग किए गए फिलिस्तीनी शामिल नहीं हैं। फिलिस्तीनी मुद्दे को दुनिया के बहुसंख्य देश, जो दुनिया की बहुसंख्य जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, समर्थन दे रहे हैं। फिलिस्तीनियों को दबाने में असफल होने के कारण, जायोनिस्ट और उनके पश्चिमी समर्थक अब उन ताकतों पर हमला कर रहे हैं जो प्रतिरोध का नेतृत्व कर रही हैं – ईरान पर हमला भी इसी कड़ी का हिस्सा था।

आरएसएस–बीजेपी सरकार ने पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका के करीब जाने की लालसा में, ईरान पर आक्रमण और फिलिस्तीनी जनसंहार दोनों ही मुद्दों पर इतिहास के गलत पक्ष में खड़ा होकर अपनी विदेशी नीति की विफलता को उजागर कर दिया है। घटनाक्रम दर्शा रहे हैं कि भारत की विदेश नीति बिखर रही है।

(शेष पृष्ठ 8 पर)

बिहार में मतदाता सूचि का विशेष गहन पुनरीक्षण: विशेष तबकों के मताधिकार को छीनने की साजिश का विरोध करो

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आदेश दिया है, जहां इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 24 जून, 2025 को घोषित गहन पुनरीक्षण का यह आदेश चुनाव होने से कुछ महीने पहले ही दिया गया है। इस संशोधन का सभी विपक्षी दलों और लोकतांत्रिक अधिकार संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। 9 जुलाई को आहूत और बिहार में सफलतापूर्वक आयोजित बिहार बंद के पीछे यही मुख्य मुद्दा था।

ईसीआई ने दावा किया है कि 22 वर्षों के बाद बिहार में किया जा रहा यह गहन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों को "शुद्ध" बनाने के लिए है, जिसे आयोग ने लोकतंत्र के लिए आवश्यक बताया है। लेकिन उद्देश्य दावे के बिल्कुल विपरीत है। रिपोर्टों के अनुसार, ईसीआई ने माना है कि मतदाता सूचि में नामांकन के लिए आधार कार्ड या राशन कार्ड होना पर्याप्त नहीं है, एक मतदाता को अपने पूर्वजों को भारत का नागरिक साबित करना होगा अर्थात वंशावली जमा करनी होगी। यह मतदाता सूचि के पुनरीक्षण की चली आ रही प्रक्रिया से अलग है जहां निवास के साक्ष्य अर्थात कोई मतदाता सामान्य रुप से वहां रहता है, को पर्याप्त माना जाता रहा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। इसलिए, चुनाव आयोग का आदेश मतदाता सूची में नामांकन से संबंधित कानूनी प्रावधानों और इस संबंध में पहले की प्रथा से अलग है। यह उन सब पर लागू होगा जिनके नाम 2003 के बाद मतदाता सूचि में जुड़े हैं।

इस गहन संशोधन के विपक्षी दलों के विरोध के बारे में एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा है कि संशोधन का उद्देश्य "घुसपैठियों" को बाहर निकालना है – एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल आरएसएस–भाजपा देश के मुसलमानों और विशेष रूप से बंगाली मुसलमानों के संबंध में करते हैं। इससे यह उजागर हो गया है कि इस गहन संशोधन के पीछे असली मंशा मतदाताओं में उन गरीबों और उत्पीड़ितों की संख्या को कम करना है जो उन्हें दी गई इतनी कम समयावधि में सभी प्रासंगिक दस्तावेज एकत्र करके जमा नहीं करा सकते। मुसलमान स्पष्ट रूप से इनमें एक बड़ा हिस्सा हैं, अधिकांश मुसलमान गरीब और उत्पीड़ित हैं।

आरएसएस–भाजपा मुसलमानों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने पर पूरी तरह केंद्रित है। आरएसएस से जुड़े कुछ बुद्धिजीवी मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करने की वकालत करते रहे हैं। चूंकि संविधान के तहत यह संभव नहीं है, इसलिए आरएसएस–भाजपा इसे हासिल करने के लिए षडयंत्रकारी औजार तैयार करते रहे हैं। एनआरसी–सीएए का उद्देश्य भी यही था। जहाँ सभी गरीबों और उत्पीड़ितों के लिए एनआरसी में जगह बनाना मुश्किल होगा,

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आपरेशन कगार के खिलाफ हैदराबाद में महाधरना

आपरेशन कगार के खिलाफ वाम संगठनों द्वारा 17 जून 2025 को हैदराबाद में महाधरना। धरने को संबेधित करते हुए का. वी. वैंकटरमैया (बायें) तथा धरने में भाग लेते सी.पी.बाई (एम-एल) न्यू डेमोक्रेसी के कार्यकर्त्ता (दायें)।

दिल्ली कमेटी, सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी कें आवाह्न पर

दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का अधिकार बहाल करने को लेकर धरना

आरएसएस–बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों और फैसलों के खिलाफ यदि कोई धरना या विरोध प्रदर्शन करना है, तो राजनीतिक दलों या किसी भी नागरिक संगठनों को इसकी पूर्व इजाजत लेनी होगी। यह अनुमति भी कम से कम 10 दिन पहले लेनी होगी। इस तरह लगभग डेढ़ अरब की आबादी वाले देश में जनता से जुड़े सवालों और उसके दुख तकलीफों पर चर्चा करने के लिए अब हुक्मरानों की इजाजत के बाद ही कोई आवाज उठ सकती है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना और शांतिपूर्ण ढंग से धरना, विरोध प्रदर्शन, रैली या सभा करना किसी भी व्यक्ति, समूह और संगठन का संवैधानिक अधिकार है, जिसे केंद्र सरकार ने छीन लिया है। यह आपातकाल की याद दिलाता है।

सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी की दिल्ली कमेटी के आवाह्न पर 1 जुलाई 2025 को राजधानी दिल्ली स्थित जंतर–मंतर पर संयुक्त धरने का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियों, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक संगठनों ने हिस्सा लिया। पहले यह धरना 19 जून को जंतर–मंतर पर होने वाला था, लेकिन 18 जून की रात 8:30 बजे दिल्ली पुलिस ने यह कहकर अनुमति रद्द कर दी कि 10 दिन पूर्व सूचना देने के नियम का पालन नहीं किया गया है। इस तरह धरने को 1 जुलाई को सिर्फ 2 घंटे दोपहर 11 से 1 बजे तक की अनुमति पुलिस ने दी। धरने के दौरान जंतर मंतर को चारों तरफ से पुलिस बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया और सैकड़ों पुलिसकर्मी व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। अब जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शनों का नजारा कुछ ऐसा ही होता है, जो जेल में हो रहे विरोध प्रदर्शन का एहसास दिलाता है।

सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी द्वारा आयोजित धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है। खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को 'नो प्रोटेस्ट जोन' बना दिया गया है। सीपीआई (एमएल) – न्यू डेमोक्रेसी के दिल्ली प्रवक्ता का. मृगांक ने कहा कि देश आपातकाल जैसी बदत्तर स्थिति है। फासीवादी शासन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर दिया है और सभी विपक्षी दलों को चुप कर दिया है। धरने में इफ्टू, सीपीआई (एम), पीयूसीएल, पी.डी.एस.यु. एआईएफआरटीई, एआईडीडब्ल्यूए, केवाईएस, आरडब्ल्यूपीआई, जन संघर्ष, पीसीएमएस, और जन हस्तक्षेप के वक्ताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विरोध की सभी आवाजों को दबाया जा रहा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध का अधिकार जैसे बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन चिंताजनक है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर को आधिकारिक तौर पर विरोध स्थल के रूप में चिन्हित किया था। अदालत के नियमों का गलत हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़े नियमों, बैरिकेडिंग, कड़ी निगरानी के जरिए उसे खुली जेल में बदल दिया है। जंतर–मंतर पर किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले आम नागरिकों से पहचान पत्र मांगना, उनका फोटो व वीडियो बनाना और तलाशी लेने जैसा काम करके पुलिस उन्हें आतंकित करती है ताकि लोग विरोध कार्यक्रमों में शामिल न हो सकें।

का. मृगांक ने कहा कि इन बंदिशों के अलावा नई दिल्ली क्षेत्र में 365 दिन निषेधाज्ञा लागू रहती है, जबकि 144 धारा के अनुसार यह सिर्फ 7 दिनों के लिए लगाई जा सकती है, जिसे पुलिस प्रति सप्ताह बढ़ाती रहती है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों, संसद, राज भवन के पास विरोध प्रकट करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और अब औद्योगिक क्षेत्रों और कार्य स्थलों को भी इसी तरह के निषेधाज्ञा के दायरे में ला दिया गया है। वहां भी विरोध प्रदर्शनों की अनुमति नहीं दी जाती। वक्ताओं ने कहा कि शांतिपूर्ण धरना और प्रदर्शनों में शामिल लोगों को उसमें शामिल महिलाओं सहित पुलिस गिरफ्तार कर दूर दराज के जिलों में छोड़ देती है। यह एक नया ट्रेंड सामने आया है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है।

धरने को दिल्ली इफ्टू के अध्यक्ष डॉ. अनिमेष दास, सीपीएम के दिल्ली कमेटी के सचिव का. अनुराग, डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट डीटीएफ की प्रोफेसर नंदिता नारायण, पीयूसीएल के नेता और एडवोकेट एनडी पंचोली, रिवॉल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के का. योगेश, शिक्षा के अधिकार के लिए अखिल भारतीय मंच के मधु प्रसाद, सीपीआई–एमएल (रेड स्टार) के का. निरंजन, सीपीआई–एमएल (मास लाइन) के प्रवक्ता का. उमाकांत, दिल्ली एडवा की उपाध्यक्ष आशा, क्रांतिकारी युवा संगठन के का. पृथ्वी, इंकलाबी मजदूर केंद्र के का. मुन्ना प्रसाद, क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के का. सत्यवीर, मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज के अध्यक्ष का. ठाकु खनाल, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन (पीडीएसयू) के दिल्ली संयोजक रोहित, पीडीएसयू जेएनयू के मनमोहन, जन हस्तक्षेप के संयोजक डॉ विकास बाजपेई, जन हस्तक्षेप के नेता व डीयू के पूर्व प्रोफेसर ईश मिश्र और पीएमएस दिल्ली की महासचिव पूनम कौशिक ने संबोधित किया।

विरोध प्रदर्शन व धरने का समापन करते हुए का. मृगांक ने चेतावनी दी कि अगर सरकार व पुलिस ने इन बंदिशों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो एक बड़ा और संयुक्त विरोध अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में लोकतांत्रिक अधिकार और विरोध की आजादी बहाल नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अब प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को संबंधित विभागों के मंत्रियों या अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की भी अनुमति नहीं दी जाती। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री को संबोधित एक संयुक्त ज्ञापन पुलिस अधिकारियों के माध्यम से भेजा गया, जिसकी प्रति केंद्रीय गृहमंत्री और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी भेजी गया। ज्ञापन में मध्य दिल्ली में स्थाई निषेधाज्ञा 144 के आदेशों को हटाने, साधारण ढंग से विरोध कार्यक्रमों की सूचना देने, जंतर–मंतर जैसे निर्दिष्ट विरोध स्थलों तक आम जनता की पहुंच आसान बनाने और प्रतिनिधिमंडलों को व्यक्तिगत रूप से सरकार के सक्षम अधिकारियों अथवा मंत्रियों को ज्ञापन देने की अनुमति देने जैसी मांग की गई है।

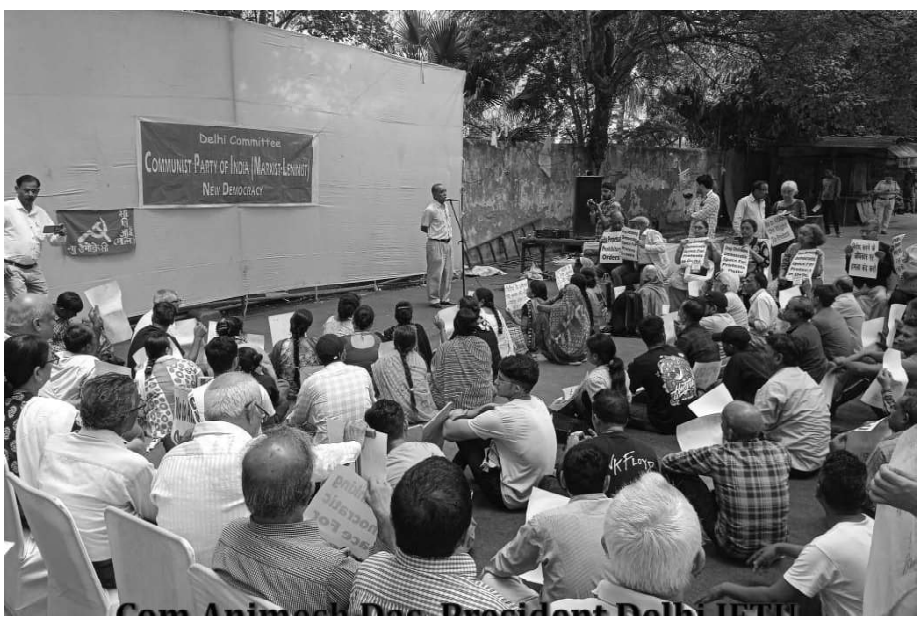

1 जुलाई 2025 को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने को संबोधित करते हुए इफ्टू दिल्ली अध्यक्ष का. अनिमेश दास

बिहार : विशेष तबकों के मताधिकार को छीनने की साजिश का विरोध करो

(पृष्ठ 1 का शेष)

वहीं सीएए के जरिए गैर–मुसलमानों की मदद की जानी है, जिससे मुसलमान एकमात्र निशाना बने। इस "विशेष गहन पुनरीक्षण" का बिहार तो तात्कालिक लक्ष्य है ही, इस कवायद का एक अहम निशाना पश्चिम बंगाल भी है, जहाँ अगले साल की पहली छमाही में चुनाव होने हैं। इस ''गहन संशोधन'' का मकसद वही उद्देश्य हासिल करना है जो आरएसएस–भाजपा एनआरसी–सीएए के जरिए हासिल करना चाहते थे। और साथ ही ऐसे तबकों के लोगों की संख्या को मतदाता सूचि में कम करना है जिन्हें वे अपना समर्थक न मानते हों।

सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा का पक्ष लेने के कारण चुनाव आयोग की भूमिका लगातार संदेह के घेरे में आती रही है। यह महत्वपूर्ण है कि मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव को नजरअंदाज कर दिया था कि चुनाव आयोग के सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाले एक पैनल द्वारा किया जाए। आरएसएस–भाजपा सरकार ने इसमें मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल किया है, जिससे चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन पर आरएसएस–भाजपा सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित हो सके।

चुनाव आयोग को सत्तारूढ़ आरएसएस–भाजपा के इशारे पर काम करने और चुनावों में आरएसएस–भाजपा के पक्ष में फैसले लेते हुए देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद तैयार की गई मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर बदलाव किये गये। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि जिन सीटों पर बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए विशेषकार नाम जोड़े गये, वहाँ आरएसएस–भाजपा ने जीत हासिल की।

विशेष गहन पुनरीक्षण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। हालाँकि संविधान के तहत चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने को लेकर 'व्यापक' शक्तियाँ हैं, लेकिन ये शक्तियाँ उसे ''स्वतंत्र और निष्पक्ष'' चुनाव कराने के लिए कार्यपालिका के प्रभाव से बचाने के लिए हैं। इन शक्तियों का इस्तेमाल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर करने और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में करने के लिए नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों पर पहले से ही हमले हो रहे हैं और उन्हें आम तौर पर कमजोर किया जा रहा है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का यह अधिकार, जो पहले से ही धन, बाहुबल और मीडिया के इस्तेमाल से कमजोर किया जा चुका है तथा किया जा रहा है, भी नहीं छीना जाना चाहिए।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब सिर्फ चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रमाणन नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग ''स्वतंत्र और निष्पक्ष'' चुनाव कराने का एक उपकरण है, न कि चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का निर्णायक। अगर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में तराजू को झुकाने की चुनाव आयोग की शक्तियों पर लगाम नहीं लगाई गई तथा उपकी निगरानी नहीं की गई, तो यह लोकतांत्रिक अधिकार, जहाँ तक भी यह अभी मौजूद है, बेहद कमजोर हो जाएगा। इससे सत्तारुढ़ फासीवादी ताकतों द्वारा देश पर पूरी तरह से फासीवादी तानाशाही थोपने के रास्ते में एक और संवैधानिक रोक हटा दी गई जायेगी।

जनता विशेषकर गरीबों, उत्पीड़ितों तथा अल्पसंख्यकों पर इस हमले का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए।

इफ्टू की राष्ट्रीय समिति द्वारा सफल अखिल भारतीय हड़ताल के लिए मजदूरों, यूनियनों और एसकेएम को बधाई

मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करना जरुरी

इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (आईएफटीयू) की राष्ट्रीय समिति देश के मजदूर वर्ग, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों, राज्य ट्रेड यूनियन केंद्रों और भाग लेने वाले स्वतंत्र फेडरेशनों को केंद्र सरकार की कॉरपोरेट समर्थक, घोर मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ और उसके चार लेबर कोड को निरस्त करने की मांग को लेकर सफल देशव्यापी हड़ताल के लिए बधाई देती है।

आज की हड़ताल सार्वजनिक, सरकारी और निजी क्षेत्रों में अनुबंध और आउटसोर्सिंग मजदूरों की विशाल सेना के नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन, 26000 रुपये न्यूनतम वेतन, सभी आशा, आंगनवाड़ी और स्कीम वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने, कार्यस्थल पर आठ घंटे के कार्य दिवस और सुरक्षा सहित मौजूदा श्रम कानूनों के सख्ती से कार्यान्वयन, सार्वभौमिक ईएसआई, पीएफ और पेंशन, सभी निर्माण मजदूरों के लिए बीओसी अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण और लाभ के लिए एक सशक्त आवाज है।

आज की हड़ताल ने देश भर में कारखाना अधिनियम में निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों के लागू नहीं किए जाने के विरुद्ध मजदूर वर्ग के आक्रोश को व्यक्त किया। पिछले 45 दिनों में दिल्ली और तेलंगाना के रासायनिक कारखानों, तमिलनाडु की पटाखा निर्माण इकाइयों में गई मजदूरों की जानों और इसी कारण मारे गए सैकड़ों अन्य मजदूरों को याद किया। हड़ताली मजदूर वर्ग ने संघर्ष के माध्यम से शोक संतप्त परिवारों को न्याय दिलाने का वायदा किया। हड़ताली मजदूरों ने सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण का विरोध किया और श्रम कानूनों के कार्यान्वयन तंत्र को और कड़ा करने की माँग की।

सफल हड़ताल पिछले दरवाजे से 4 लेबर कोड के चुपके से क्रियान्वयन के खिलाफ भी थी– हाल के हफ्तों में इसे दिल्ली में प्रस्तावित किया गया है (शॉप एक्ट में संशोधन करके इसे 10 और उससे अधिक मजदूरों पर लागू किया जाएगा और औद्योगिक विवाद कानून - ID Act के अध्याय 5 बी को 200 से अधिक मजदूरों पर लागू किया जाएगा) और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में इसे क्रियान्वित किया गया है जहां काम के घंटे 10 से 12 घंटे तक बढ़ा दिए गए हैं।

इफ्टू की राष्ट्रीय समिति संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को उनकी अपनी और मजदूर वर्ग की मांगों पर जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शनों के समन्वित आह्वान के लिए बधाई देती है। हम एसकेएम की मांगों के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त करते हैं। आईएफटीयू राष्ट्रीय कमिटी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एसकेएम–ट्रेड यूनियनों के संयुक्त विरोध प्रदर्शन में एसकेएम नेता और एआईकेएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड सुशांतो झा और अन्य एआईकेएमएस के सदस्यों की गिरफ्तारी की निंदा करती है।

रिसड़ा (हुगली, प. बंगाल) : जयश्री टैक्सटाइल्स के गेट पर इफ्टू के नेतृत्व मे पिकटिंग करते मिल के मजदूर

नेल्लीमरला (विजयनगरम, आंध्र प्रदेश) : नेलीमरला जूट मिल के गेट पर मिल मजदूरों को संबोधित करते हुए यूनियन तथा इफ्टू नेता

सिंगरेनी (तेलंगाना) : सिंगरेनी खदान के गेट पर इफ्टू के नेतृत्व मे सभा करते खदान के मजदूर

आईएफटीयू की राष्ट्रीय समिति देश के सभी हिस्सों में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के योगदान को सलाम करती है, जिन्होंने सड़कों पर उतरकर अखिल भारतीय हड़ताल को सफल बनाया। हड़ताली मजदूरों में निर्माण मजदूर, लोडिंग–अनलोडिंग मजदूर, निजी परिवहन मजदूर, ऑटो मोटर और ई–रिक्शा मजदूर, निजी औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर और अन्य सभी शामिल थे।

आईएफटीयू की राष्ट्रीय समिति सार्वजनिक, राज्य और केंद्र सरकार तथा निजी क्षेत्र के मजदूरों को बधाई देती है जिन्होंने वेतन कटौती के अलावा दंडात्मक धमकियों और कार्रवाइयों का सामना करते हुए आज हड़ताल की है। हम केरल सरकार द्वारा हड़ताली कर्मचारियों के लिए ''नो डे नो पे'' घोषित करने के नोटिस की निंदा करते हैं, और हम किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसी भी निजी प्रबंधन द्वारा की गई किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का विरोध करते हैं और मजदूरों तथा आज संघर्षरत एसकेएम सदस्यों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की भी निंदा करते हैं।

कोल इंडिया में आज हड़ताल रही और आज सुबह बीसीसीएल में कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा। तेलंगाना की सिंगरेनी कोल माइंस में भी स्थायी और ठेका मजदूरों, दोनों ने हड़ताल की। यहां कार्यरत सभी ट्रेड यूनियनों, जिनमें आईएफटीयू भी शामिल है, के प्रयासों से हड़ताल हुई। कई राज्यों में सड़क परिवहन बाधित रहा और देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और बैंक कर्मचारी विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए।

आज, इफ्टू इकाइयों ने उन सभी राज्यों के सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत की जहाँ इफ्टू यूनियनें हैं और मजदूरों को हड़ताल, संघर्ष और प्रदर्शनों में नेतृत्व प्रदान किया।

एनटीपीसी केहलगांव में लगभग 500 नियमित और 5000 से अधिक ठेका मजदूरों ने ठेका मजदूरों और नियमित मजदूरों की इफ्टू से संबद्ध यूनियनों के आह्वान पर काले बिल्ले पहने। शेष बिहार में, जहाँ मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और अन्य मुद्दों के खिलाफ वस्तुतः भारत बंद चल रहा है, इफ्टू की ऑटो मजदूर यूनियन ने सासाराम में AIKMS और SKM के साथ मिलकर प्रदर्शन किया।

तेलंगाना में, अंतिम रिपोर्ट आने तक, कुल 33 जिलों में से 26 जिलों में कई केंद्रों पर संयुक्त प्रदर्शन हुए। हैदराबाद में, IFTU ने हड़ताल के आह्वान को लागू करने के लिए 2000 मजदूरों की एक संयुक्त रैली में भाग लिया।

दिल्ली में, निजी औद्योगिक क्षेत्रों में, IFTU कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, ओखला औद्योगिक क्षेत्र और मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में अन्य केंद्रीय यूनियनों के साथ मिलकर हड़ताल का आह्वान लागू किया। इन सभी क्षेत्रों में संयुक्त मार्च और संयुक्त सभाएँ आयोजित की गईं।

पश्चिम बंगाल में, हुगली जिले की सभी जूट मिलों ने आज सफलतापूर्वक हड़ताल की। इंडिया जूट मिल, डलहौजी जूट मिल और एंगस जूट मिल में IFTU

(शेष पृष्ठ 6 पर)

ईरान पर अमेरिकी हमले का

ईरान पर थोपे गए युद्ध में जब दसवें दिन इज़राइल की युद्ध मशीन चरमरा गई, तो ट्रम्प प्रशासन ने खुद खुलकर युद्ध का मोर्चा संभाल लिया। 21/22 जून की रात अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु स्थलों– फोर्दो तथा नतांज पर बंकर बस्टर बम गिराए और इस्फहान पर मिला किया। इज़राइल के एकतरफा और अवैध आक्रमण को पहले जायज़ ठहराने के बाद अमेरिका ने अब खुद को मध्य पूर्व और पूरे विश्व में अस्थिरता, विनाश, वर्चस्व और आक्रमण की मुख्य ताकत के रूप में सामने ला दिया है। इस युद्ध का असली उद्देश्य शुरू से ही स्पष्ट था – ईरान में सत्ता परिवर्तन। ट्रम्प द्वारा इन हमलों की घोषणा करते हुए दिए गए बयानों से यह साफ है – ईरान के नेताओं की "अमेरिका और इज़राइल को मौत" वाले पुराने नारों का हवाला और राष्ट्रपति कार्टर प्रशासन के दौरान के बंधक संकट का ज़िक्र इस उद्देश्य को साफ करता है। ईरान से आने वाले परमाणु खतरे की सारी बातें इस आक्रामकता के वास्तविक संदेश, अर्थात तेहरान में एक दब्बू शासन को सत्ता में लाना, को छिपाने के लिए कोलाहल मात्र है।

विभिन्न अमेरिकी शासकों की दशकों से बदलती बयानबाज़ी का असल मकसद एक ही रहा है – दुनिया में अन्य ताकतों के उभरने के बीच अमेरिकी साम्राज्यवादी प्रभुत्व को बनाये रखना। इनके तरीके अलग रहे हैं परंतु उद्देश्य एक ही रहा है। "पागलपन" के एक क्षण में ट्रम्प ने शांति निर्माता का मुखौटा उतार फेंका और दुनिया को याद दिलाया कि साम्राज्यवाद का मतलब युद्ध है और एकध्रुवीय प्रभुत्व रखने वाली महाशक्ति अपने प्रभुत्व से "शांतिपूर्वक सेवानिवृत्त" नहीं होगी। ट्रम्प ने सैन्य साधनों से दुनिया पर शासन करने के नव–रूढ़ीवादी एजेंडे का समर्थन किया है। उन्होंने 2003 में इराक पर अमेरिकी कब्जे का समर्थन किया था। उनका शांति मुखौटा केवल लोगों को धोखा देने के लिए था ताकि वे सत्ता हासिल करने के लिए घरेलू मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। "डीप स्टेट" के बारे में उनकी सारी बातें सैन्य औद्योगिक परिसर और कॉरपोरेट अभिजात वर्ग के साथ उनके गहरे संबंधों से ध्यान हटाने के लिए थीं जैसे "चोर रोए चोर–चोर"। ट्रम्प ने हेरिटेज फाउंडेशन के घरेलू एजेंडे (प्रोजेक्ट 2025) को नव–रूढ़ीवादी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे से जोड़ दिया है। वह न केवल अमेरिकी लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं – फासीवाद का एक वास्तविक खतरा – घर में दमन और विदेश में आक्रामकता।

मध्य पूर्व के लिए नव–रूढ़ीवादी एजेंडा है इज़राइल को मजबूत करना, ओस्लो समझौते सहित दो–राज्य समाधान को खारिज करना, ऐतिहासिक फिलिस्तीन से फिलिस्तीनियों को शारीरिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से खत्म करना और मध्य पूर्व के देशों में शासन परिवर्तन करना और अमेरिकी कठपुतलियों को सत्ता में लाना। उन्होंने मध्य पूर्व के सात देशों (पूर्व नाटो कमांडर जनरल वेस्ले क्लार्क द्वारा पुष्टि) को निशाना बनाया था – इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लेबनान और ईरान। शासन परिवर्तन के लक्ष्यों में ईरान अंतिम है। सीरिया में शासन परिवर्तन और लेबनान में हिजबुल्लाह को हाशिए पर डालने के बाद ईरान पर हमला हुआ है। हमले का प्रारंभिक चरण इज़राइल द्वारा सीरिया के सभी एयरफील्ड, हवाई सुरक्षा, मिसाइल डिपो, संक्षेप में सीरिया में सभी रक्षा स्थलों को शासन परिवर्तन के बाद भी नष्ट करके और सीरिया, इराक और ईरान के कुर्द क्षेत्रों से इजरायली विमानों के लिए मार्ग तैयार करने के लिए किया गया था। ट्रम्प द्वारा 7 से 10 मई तक भारत–पाकिस्तान के बीच मिसाइलों और ड्रोनों के आदान–प्रदान में हस्तक्षेप का एक उद्देश्य ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को एकजुट करना था। ट्रम्प द्वारा 18 जून को पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करना भी ईरान को पूरब से अलग–थलग करने की इस योजना का हिस्सा था, जिससे उन्हें रणनीतिक गहराई से वंचित किया जा सके।

इस हमले का ईरान के परमाणु कार्यक्रम से कोई लेना–देना नहीं है। मार्च 2025 में अमेरिकी सीनेट की खुफिया समिति के समक्ष गवाही देते हुए अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड ने कहा था कि खुफिया समुदाय "अब भी यह आंकलन करता है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने उस परमाणु हथियार कार्यक्रम को, जिसे उन्होंने 2003 में निलंबित कर दिया था, फिर से अधिकृत नहीं किया है।'' फिर 10 जून को, इज़राइली हमलों से कुछ दिन पहले, तुलसी गब्बार्ड ने एक वीडियो जारी कर कहा कि "राजनीतिक अभिजात वर्ग और युद्धपसंद ताकतें लापरवाही से भय और तनाव फैला रही हैं जो दुनिया को परमाणु तबाही के कगार पर धकेल रहा है।" उन्हें यह पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में उन्हें अपने ही शब्दों को निगलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की बातों पर ट्रंप से भी ज्यादा भरोसा कर लिया था। आईएईए (अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी) की उस रिपोर्ट को लेकर भी बहुत हल्ला मचाया गया जिसमें कहा गया कि ईरान परमाणु अप्रसार के दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। इस रिपोर्ट का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 35 में से 19 देशों ने समर्थन किया थी। लेकिन आईएईए प्रमुख ग्रोसी ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि एजेंसी के पास "ईरान की ओर से परमाणु हथियार बनाने की किसी संगठित कोशिश का कोई प्रमाण नहीं है।" असल मुद्दा यह था कि ईरान की ताकत लगातार बढ़ रही थी, खासतौर पर उसकी मिसाइल क्षमता, साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध ताकतों को उसका समर्थन मिल रहा था और रूस–चीन के साथ उसके बढ़ते संबंध थे। ईरान, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। ट्रंप प्रशासन ने इसे हमला करने का उपयुक्त समय माना और अपनी सहयोगी ताकत इज़राइल को हरी झंडी दे दी। यह एक बार फिर इराक जैसा मामला है, जब अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक पर सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने के झूठे बहाने से हमला किया था। अब नेतन्याहू और ट्रंप ने बिना किसी सबूत के दावा किया है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने वाला है। नेतन्याहू पिछले 13 सालों से इस पर बात कर रहे हैं, जब 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने एक पोस्टर दिखाया था जिसमें दिखाया गया था कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने के कितने करीब है।

ट्रंप ने परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) को भी, जो पहले से ही एक पक्षपाती और भेदभावपूर्ण संधि है, बमबारी कर तहस–नहस कर दिया है। यह संधि सभी देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की अनुमति देती है। अमेरिकी हमले में जो परमाणु स्थल बमबारी के निशाने बने, वे सभी आईएईए की निगरानी में थे। अमेरिका चाहता है कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को भी छोड़ दे, जो किसी भी संप्रभु देश के लिए अस्वीकार्य है। ट्रंप असल में ईरानी सरकार से पूर्ण आत्मसमर्पण की मांग कर रहा है, जो सत्ता परिवर्तन की भूमिका बना रही है। आईएईए के महानिदेशक राफेल ग्रोसी, जो साम्राज्यवादी ताकतों के पुराने वफादार रहे हैं, ने तमाम परमाणु स्थलों को निरीक्षण के लिए खोलने के बावजूद ईरान पर दोष मढ़ने की कोशिश की है। अमेरिकी बमबारी ने एनपीटी पर गंभीर हमला किया है। पश्चिमी ताकतों ने एनपीटी का इस्तेमाल उन्हीं सरकारों के खिलाफ किया है जो उनके विरोध में खड़ी होती हैं, जबकि इन्हीं पश्चिमी ताकतों ने इज़राइल को परमाणु हथियार विकसित करने में मदद की। किसी भी बड़े देश द्वारा परमाणु हथियार बनाने का निर्णय एक राजनीतिक निर्णय होता है और ईरानी नेतृत्व ने अब तक इसे इस्लाम–विरोधी मानते हुए इसका विरोध किया है।

इज़राइल ने पहले हमला करने का लाभ उठाया। उसने मिसाइल भंडारण और प्रक्षेपण स्थलों, रक्षा प्रतिष्ठानों और परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए और मोसाद एजेंटों के ज़रिए निशानेबाज़ी करवाई जिसमें ईरान के सेना के 5 शीर्ष कमांडर और 10 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। लेकिन ईरान ने तेज़ी से अपनी कमान संरचना को पुनर्गठित किया और 15 घंटे के भीतर जवाबी हमला किया। इज़राइली आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग, एरो और थाड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी मिसाइलों ने इज़राइल के सैन्य मुख्यालय और अन्य ठिकानों को निशाना बनाकर गंभीर नुकसान पहुंचाया। युद्ध को दूर बैठकर टीवी पर देखने की आदी इज़राइली युद्धोंमादियों को बंकरों में भागना पड़ा, युद्ध उनके घर तक आ पहुंचा। इज़राइल को पारंपरिक हथियारों के मामले में लगभग बराबर के प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ईरान के पास मिसाइल – परिशुद्धता और तैनाती के मामले में दुनिया की सबसे बेहतर तकनीक है।

पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के राजनेता और उनकी मीडिया इज़राइल को आत्मरक्षा में कार्रवाई करने वाला बता रहे हैं, जो "आत्मरक्षा" शब्द का सबसे विकृत उपयोग है। वे एकतरफा यह दिखा रहे हैं कि इज़राइल सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है जबकि ईरान नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है। सच्चाई इससे अलग है – तेहरान के नागरिक इलाकों पर इज़राइल के हमलों में महिलाएं और बच्चे मारे गए। पश्चिमी मीडिया ने इज़रायल के बेयरशेबा के एक अस्पताल पर हमले को उजागर किया, लेकिन नहीं बताया कि यह अस्पताल एक सैन्य प्रतिष्ठान के पास स्थित था। यही मीडिया ग़ाज़ा में अस्पतालों के नीचे हमास के ठिकाने खोज निकालने में जुटी रहती है। यह मीडिया अब बदनाम हो चुकी है और अपने ही देशों की जनता के बीच अविश्वसनीय बन चुकी है। यह युद्ध मध्य पूर्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए लड़ा जा रहा है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ का यह बयान कि इज़रायल 'हमारा गंदा काम' कर रहा है, यह साफ कर देता है। जैसे उन्होंने यूक्रेन का उपयोग पूर्वी यूरोप में किया, वैसे ही अब इज़राइल को मध्य पूर्व में उपयोग कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उनके आदेश से हुई बमबारी ने तीनों परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता अधिक सतर्क रहे और कहा कि सिर्फ "गंभीर नुकसान" पहुंचा है। ईरानी परमाणु एजेंसी और आईएईए दोनों ने स्पष्ट किया कि रेडिएशन में कोई वृद्धि नहीं पाई गई – यानि कि समृद्ध यूरेनियम पर मार नहीं हुई है। इसका मतलब या तो बम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे या सामग्री को पहले ही हटा लिया गया था। यह बमबारी अपने घोषित उद्देश्यों में विफल रही – या फिर यह किसी नए "हमेशा के युद्ध" की शुरुआत है जो ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा सत्ता परिवर्तन के लिए शुरू की गई है। ईरान में मौजूदा शासन के खिलाफ असंतोष ज़रूर है, लेकिन ईरानी जनता अमेरिकी–इज़राइली साजिश से किये गये सत्ता परिवर्तन का समर्थन नहीं करेगी। यह 1953 नहीं है। मौजूदा शासन 46 वर्षों से सत्ता में है। इज़राइल की जायोनिस्ट शासन और उसके अमेरिकी संरक्षकों के हमले के खिलाफ पूरे ईरान में विरोध प्रदर्शनों की खबरें आ रही हैं, जो जनता की एकता को दिखाता है।

ईरान को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। लेकिन एक समृद्ध और सभ्य देश के रूप में ईरान ज़ायोनिस्ट हमलावरों और उनके अमेरिकी–पश्चिमी संरक्षकों के खिलाफ अधिकतम एकता कायम करने की दिशा में सोच समझकर कार्रवाई कर रहा है। यहां तक कि क्षेत्र में अमेरिका के कई सहयोगी देशों ने भी इज़रायल और अमेरिका के हमलों की निंदा की है। ईरान के सहयोगियों, खासतौर पर रूस और चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। हालांकि रूस और चीन अपने साम्राज्यवादी हितों से संचालित होते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षण की अहमियत समझनी होगी। अगर अमेरिका नेतृत्व वाला पश्चिम यहां सफल होता है, तो दुनिया के और हिस्सों में भी इसका असर होगा। यह वास्तव में एक बहुध्रुवीय दुनिया की परीक्षा है जो अब काफी मज़बूत हो चुकी है। रूस को यह याद रखना चाहिए कि जब 1973 के योम किप्पुर युद्ध के निर्णायक दौर में सोवियत संघ ने अरब देशों को सैन्य आपूर्ति रोक दी था, तो इसका मध्य पूर्व की राजनीति पर इसका दीर्घकालिक असर

विरोध करो

हुआ था।

ईरान कैसे जवाब देगा, यह उसका निर्णय होगा, लेकिन इज़रायल को अपने इस हमले की भारी कीमत चुकानी होगी। यह हमला ग़ाज़ा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार, वेस्ट बैंक पर हमलों, लेबनान, सीरिया और यमन पर इज़राइली हमलों की कड़ी में हुआ है। जो इम्यूनिटी इज़रायल को अब तक मिलती रही है, वह अब खत्म होने वाली है। प्रतिरोध ताकतें अमेरिका और इज़राइल को पूरे पश्चिम एशिया में निशाना बनाएंगी। हौथी–नेतृत्व वाला यमन पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह रेड सी में अमेरिका और इज़रायल के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

पूरी दुनिया, सिवाय पश्चिमी देशों की सरकारों के, इस हमले और इज़राइल की आक्रामकता की निंदा कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने विश्व जनमत और विशेषकर दुनिया के गैर–अमीर देशों की भावनाओं के खिलाफ जाकर, खुद को अलग–थलग कर लिया है। मोदी नेतृत्व वाली आरएसएस–बीजेपी की सरकार लगातार अमेरिका और इज़रायल के करीब जा रही है और भारत की पुरानी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति से विपरीत दिशा में बढ़ रही है। मोदी और विदेश मंत्री ने अब तक ट्रंप के इस दावे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को संघर्षविराम में मध्यस्थता की थी। इस पर सिर्फ नौकरशाही की ओर से प्रतिक्रिया आई। 12 जून को मोदी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में ग़ाज़ा में युद्धविराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की पहुंच की मांग करने वाले प्रस्ताव पर मतदान से दूर रहकर एक बार फिर अपने आपको अलग रखा है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश देशों द्वारा समर्थित था, जो दुनिया की भारी बहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे और जिनमें कुछ पश्चिमी यूरोपीय देश भी शामिल थे। यह दिसंबर 2024 के उस वोट से उलट था जब भारत ने ऐसे ही प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था। 13 जून को जब इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, तब भारत सरकार ने 14 जून को एससीओ की ओर से जारी उस बयान से खुद को अलग कर लिया जिसमें हमले की निंदा की गई थी, जबकि भारत और ईरान के ऐतिहासिक अच्छे रिश्ते रहे हैं और ईरान इस अकारण और नाजायज़ आक्रमण का शिकार है।

एक बहुध्रुवीय (मल्टी–पोलर) विश्व में, मोदी सरकार द्वारा अमेरिका और उसके सहयोगियों के और निकट जाने के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग–थलग पड़ता जा रहा है। अमेरिकी साम्राज्यवाद एक अतिमहाशक्ति है। इसके विश्व भर में अपने हित हैं और यह अत्यधिक खिंचाव में है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की पराजय के साथ वापसी के बाद, पाकिस्तान की महत्ता अमेरिका के लिए बढ़ गई है – मध्य एशिया तक पहुँच के एक मार्ग के रूप में और विशेषकर ईरान पर सैन्य हमले की वर्तमान पृष्ठभूमि में, ईरान को पाकिस्तान से संभावित समर्थन से वंचित करने के लिए। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और चीन के बीच तीव्र होते टकराव के बीच एक अस्थायी रूप से 'इच्छित' स्थिति में है, जहां दोनों शक्तियाँ उसे रिझाने की कोशिश कर रही हैं। इसके विपरीत, मोदी सरकार का अमेरिका और खासकर इज़राइल के पीछे चलना, भारत की सत्ताधारी वर्ग की पारंपरिक विदेश नीति से स्पष्ट विचलन है।

जैसे–जैसे अमेरिका साम्राज्यवाद की घरेलू तथा विदेशों में आक्रामकता बढ़ रही है, मोदी सरकार की अमेरिका से बढ़ती निकटता आरएसएस–बीजेपी के फासीवादी एजेंडे के तेज़ होने का भी संकेत दे सकती है। साथ ही यह सरकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाव की स्थिति और भारत की शासक दलों के बीच आपसी दूरी को भी दर्शाता है। अमेरिकी दबाव में भारतीय बाज़ार, विशेषकर कृषि क्षेत्र को खोलने के प्रयासों का भारत की जनता पर बड़ा असर होगा और यह जनता के संघर्षों को और तेज़ करेगा। भारत ने पश्चिमी (अंग्रेजी) उपनिवेशवाद का दंश झेला है और देश की जनता उपनिवेशवाद के लूटपाट को नहीं भूली है।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी अमेरिका द्वारा इज़राइल के साथ मिलकर ईरान पर परमाणु स्थलों की बमबारी की कड़ी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार एक संप्रभु और मित्र देश पर अमेरिकी आक्रमण की निंदा करे। हम यह भी मांग करते हैं कि भारत सरकार इज़राइल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ विश्व जनमत का समर्थन करे।

सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी देश की जनता से अपील करती है कि अमेरिका–इज़राइल के ईरान पर आक्रमण का विरोध करें। हम सभी शांति–प्रिय जनता से अपील करते हैं कि वे ईरान और पूरे पश्चिम एशिया पर थोपे जा रहे इस अवैध और हिंसक युद्ध के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें।

(सीपीआई (एमएल)- न्यू डेमोक्रेसी द्वारा 22 जून 2025 को जारी टिप्पणी का अनुवाद)

पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी पाठकों से अनुरोध

- *पत्रिका के लिए लेख व रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *कृपया पत्रिका की प्रतियों की राशि समय पर पहुंचाएं।*
- *लेख, रिपोर्ट, सुझाव तथा राशि पत्रिका के पते पर भेजें।*

का. राज सिंह को श्रद्धांजलि

इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (इफ्टू) की राष्ट्रीय समिति के सचिव और इफ्टू की पंजाब राज्य कार्यकारी समिति के महासचिव कॉ. राज सिंह का 24 जून, 2025 तड़के निधन हो गया। 13 जून को वे लिवर कैंसर से पीड़ित पाए गए थे और बमुश्किल 10 दिन बाद ही उनका देहांत

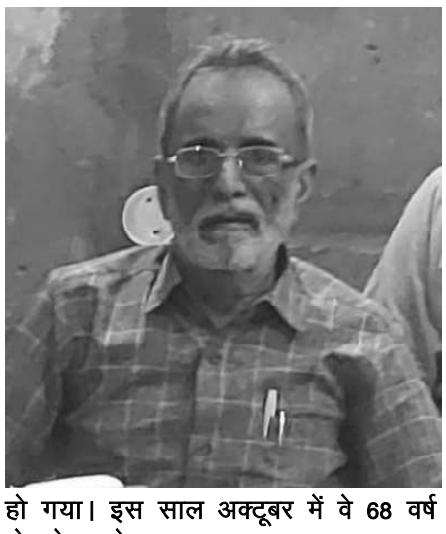

हो गया। इस साल अक्टूबर में वे 68 वर्ष के हो जाते।

कॉ. राज सिंह का जन्म अक्टूबर 1957 में पंजाब में मलौट के पास देवनखेड़ा गांव में हुआ था। चार भाइयों में वे सबसे बड़े थे। नजदीक के गांव के स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पूरी की। छात्र काल में वे अपने गांव के एक युवा संगठन का हिस्सा थे, जिस पर गांव के जमींदारों ने हमला किया थ। कॉ. राज सिंह को भी निशाना बनाया गया था।

मैट्रिकुलेशन के बाद वे मलोट आ गए, जहाँ जल्द ही वे सूरज टेक्सटाइल मिल में काम पर लग गए। मिल में उन्होंने मजदूरों को संगठित करना शुरू किया। जब 1978 में इफ्टू का गठन हुआ तो उन्होंने एसटीएम, मलोट में इफ्टू से संबद्ध यूनियन बनाई। उन्होंने 1978 में गुवाहाटी में आयोजित इफ्टू के स्थापना सम्मेलन में भाग लिया। 1978 में इफ्टू पंजाब राज्य समिति के गठन के समय उन्हें इसका महासचिव बनाया गया और कॉ. बी.डी. इसके अध्यक्ष थे। हाल ही में अपनी मृत्यु तक लगभग 47 वर्षों तक वे इस पद पर रहे। कॉ. राज सिंह इफ्टू की राष्ट्रीय समिति के सदस्य बनाए गए और 1987 के उत्तरपाड़ा सम्मेलन से लेकर हर सम्मेलन में वे इसकी राष्ट्रीय समिति के लिए चुने गए। बाद में उन्हें राष्ट्रीय समिति का सचिव चुना गया, जिस पद पर वे अपनी मृत्यु तक रहे।

एसटीएम में यूनियन बनाने के अलावा कॉ. राज सिंह ने नगरपालिका कर्मचारी, जूता बनाने वाले मजदूर, आरा मशीन कामगार, रिक्शा चालक, ऑटो वर्कर्स तथा सबसे महत्वपूर्ण, बीओसी कर्मचारियों को संगठित किया (मिस्त्री मजदूर यूनियन), जिसने जिले और क्षेत्र में बीओसी कर्मचारियों के बीच व्यापक प्रभाव विकसित किया। इस यूनियन ने अच्छी सदस्यता हासिल की और स्थानीय ही नहीं अपितु चंडीगढ़ और यहां तक की दिल्ली में भी प्रदर्शन करने के लिए लामबंदी करने की क्षमता विकसित की। वे सूबे में क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के एक अहम नेता थे और मजदूरों के मुद्दों पर व उनको कानूनी रूप से और साथ ही आंदोलन से कैसे हल किया जाए, इस पर उनकी अच्छी पकड़ थी।

कॉ. राज सिंह युवावस्था से ही कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा रहे। वे 2004 तक दो दशकों से भी अधिक समय तक सीपीआई (एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी की पंजाब राज्य समिति के सदस्य रहे।

कॉ. राज सिंह की मौत पंजाब में ट्रेड यूनियन आंदोलन और खासकर इफ्टू के लिए एक बड़ा नुकसान है। कॉम. राज सिंह की मृत्यु कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन और हमारी पार्टी को भी एक क्षति है। उस मोर्चे पर काम कर रहे साथियों को, मजदूरों के विभिन्न वर्गों के बीच काम करने में उनकी दृढ़ता, अपने कार्य क्षेत्र में मजदूरों के साथ उनके गहरे रिश्ते और उनके कठिन प्रयासों को आत्मसात व उनका अनुकरण करना चाहिए।

कॉ. राज सिंह अपने पीछे पत्नी, पुत्र, बहू और दो पौत्र छोड़ गए हैं।

सीपीआई(एमएल)–न्यू डेमोक्रेसी उनकी क्रांतिकारी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करती है तथा उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है।

(सीपीआई(एमएल)-न्यू डेमोक्रेसी द्वारा जून 25, 2025)

{इफ्टू की राष्ट्रीय समिति और इफ्टू की पंजाब राज्य समिति ने अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा ट्रेड युनियन आंदोलन में उनके योगदान तथा उनकी भूमिका को रेखांकित किया।}

यूरोपीय देशों में गाजा में जनसंहार की दोषी जियोनवादी इजराइल सरकार का समर्थन करने के विरोध में व्यापक प्रदर्शन हों रहे है। ऊपर 15 जून को नीदरलैंड में हेग में सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन में 150000 लोगों ने भाग लिया।

कामरेड पंजाब राव की स्मृति में कोलकाता में संगोष्ठी

पंजाब में जारी भूमि संघर्ष और दलित प्रश्न

कोलकाता के सुवर्ण बनिक समाज हाल में कामरेड पंजाब राव की स्मृति में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। का. पंजाब राव नक्सलबाड़ी आंदोलन के अग्रणी योद्धाओं में से एक थे। संगोष्ठी का विषय था "पंजाब में जारी जमीन संघर्ष और दलित प्रश्न"। पिछले कुछ वर्षों से पंजाब में दलितों के लिए भूमि अधिकारों की मांग को लेकर निरंतर एक आंदोलन चल रहा है। संघर्ष के संचालन के लिएं जमीन प्राप्ति संघर्ष समिति (जेडपीएससी) का गठन किया गया है।

संगोष्ठी में मुख्य वक्ता थे जेडपीएससी के अध्यक्ष कामरेड मुकेश मलौद जिन्हें अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएमएस) ने आमंत्रित किया था। अपने संबोधन में कामरेड मुकेश ने पंजाब में भूमि के आसमान वितरण, दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखने की व्यवस्था, सत्ताधारी दलों की जन विरोधी भूमिका और राज्य के दमन की वर्तमान स्थिति को उजागर किया। उनके भाषण का बंगाली में अनुवाद प्रमोद गुप्ता ने किया।

संगोष्ठी का संचालन एआईकेएमएस के राज्य अध्यक्ष कामरेड सुशांत झा ने किया। मंच पर राज्य सचिव कामरेड शुभ्रांशु मुखर्जी, उपाध्यक्ष कामरेड रवि राय और कामरेड पंजाब राव की जीवन संगिनी कामरेड सावित्री राव करजोन भी उपस्थित थीं। कामरेड दीपक और राई ने क्रांतिकारी जन गीत प्रस्तुत किए, जिससे कार्यक्रम में एक सशक्त सांस्कृतिक आयाम जुड़ गया। संगोष्ठी का समापन कामरेड रवि राय के समापन भाषण के साथ हुआ।

कृष्णागिरि (तमिलनाडु) में किसानों का संघर्ष

तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले मे नहर परियोजना से विस्थापित होने वाले किसानों का संघर्ष कुछ समय से चल रहा है। किसानों के विरोध तथा काम को बाधित करने के चलते प्रशासन को आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ा।

9 जून को कृष्णागिरि के जिला कलैक्टर ने किसानों के साथ एन्नालकोदुदुर नहर परियोजना पर अमल के सवाल पर बातचीत की। जिले का राजस्व विभाग पुलिस संरक्षण में खेतों के निरक्षण के लिए आया था। जिला कलैक्टर ने अधिकारियों को नहर परियोजना का काम रोकने का आदेश दिया जब किसानों ने धमकी दी यदि तमिलनाडु सरकार उनकी खेती की जमीन का अधिग्रहण करती है तो वे आंदोलन को तेज करने को बाध्य होंगे जिसमें आत्मदाह भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल में आर.एस.एस.-भाजपा गुंडों द्वारा युद्ध विरोधी प्रदर्शनों तथा रैलियों पर हमले किये जा रहे हैं। यह उनके द्वारा युद्धोन्माद तथा साम्प्रदायिक धृणा तथा द्वेष फैलाने के षडयंत्र के तहत किया जा रहा है। इन ताकतों द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद का समर्थन किया जा रहा है तथा छत्तीसगढ़ में हत्याएं की जा रही हैं।

इन हमलों के खिलाफ 4 जून को विभिन्न युवा संगठनों, ट्रेढ यूनियनों, महिला संगठनों, मानवाधिकार संगठनों तथा प्रगतिशील जनवादी लोगों ने जन विरोध रैली निकाली। कोलकाता में हुई इस विरोध रैली में इफ्टू, ए.आई.के.एम.एस., पी.वाई.एल., पी.डी.एस.यू. (प. बंगाल) के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

मजदूरों की सफल अखिल भारतीय हड़ताल

(पृष्ठ 3 का शेष)

के मजदूरों ने सुबह 5 बजे से गेट पर धरना शुरू कर दिया। इसी औद्योगिक क्षेत्र में जयश्री टेक्सटाइल्स और जयश्री इंसुलेटर में भी मजदूरों ने पूर्ण हड़ताल की। हिंदुस्तान ग्लास में 70 प्रतिशत से ज्यादा मजदूर हड़ताल में शामिल हुए। दानकुनी में अनमोल बिस्कुट पूरी तरह से हड़ताल पर रही। भगवती में, जहाँ IFTU कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और हड़ताल का आह्वान किया, वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया था।

आंध्र प्रदेश में IFTU सहित लगभग 3000 श्रमिकों ने विजयवाड़ा में एक संयुक्त रैली और विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जिसमें हमाली, ऑटो, आशा, नगरपालिका, विद्युत और अन्य मजदूर शामिल थे। कुछ बैंक और LIC कर्मचारियों ने भी भाग लिया। एलुरु में, हड़ताल को लागू करने के लिए 1600 मजदूरों की संयुक्त रैली में 1000 मजदूरों का IFTU दल प्रमुख भागीदार था। छोटे निजी और कृषि उद्योगों के मजदूर और हमाली मजदूरों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कुल मिलाकर आज आंध्र प्रदेश में IFTU ने 13 जिलों के 38 केंद्रों में भाग लिया। राज्य में साठ हजार से अधिक आशा और एक लाख पंद्रह हजार आंगनवाड़ी ने आज काम बंद किया– चित्तूर जिले में IFTU ने इस आह्वान का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया। विजयनगरम जिले में एक मानव श्रृंखला बनाई गई तथा एक संयुक्त रैली, और जन सभा आयोजित की गई जिसमें नेल्लीमरला जूट मिल के मजदूरों ने भाग लिया। नेल्लीमरला के 2000 मजदूरों ने आज हड़ताल की। विशाखा में एक बड़ी संयुक्त रैली आयोजित की गई।

ओडिशा में, तोशाली सीमेंट फैक्ट्री और चूना पत्थर खदानों के मजदूरों की IFTU से संबद्ध यूनियनों ने कोरापुट जिले के सुन्की में रास्ता रोको आंदोलन किया। बहरामपुर मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और बहरामपुर के सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल के समर्थन में IFTU के बैनर तले प्रदर्शन किया। गंजम और कंधमाल जिलों में सफाई कर्मचारियों और इन क्षेत्रों के छोटे अस्पतालों के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने भी IFTU के बैनर तले इसी तरह के प्रदर्शन किए।

पंजाब के नवाशहर में निर्माण मजदूरों, रेड़ी पटरी मजदूरों और अन्य मजदूरों की एक विशाल रैली आयोजित की गई। अबोहर, फाजिल्का, मलौट और गुरदासपुर जिले में IFTU के बैनर तले प्रदर्शन हुए। रोपड़ में स्वराज माजदा फैक्टरी के ठेका मजदूरों ने IFTU के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया।

महाराष्ट्र के बीड जिले में IFTU कार्यकर्ताओं ने संयुक्त विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया।

कर्नाटक में, IFTU कार्यकर्ताओं ने बैंगलोर में ठेका मजदूरों के विभिन्न प्रदर्शनों में भाग लिया।

आज की हड़ताल की सफलता मजदूर वर्ग द्वारा विभिन्न स्तरों पर की गई एकजुट कार्रवाइयों का परिणाम है। इफ्टू की राष्ट्रीय समिति मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वे कॉरपोरेट–परस्त, मजदूर–विरोधी नीतियों के विरुद्ध, चार लेबर कोड़ों को निरस्त करने और श्रम कानूनों के कड़े क्रियान्वयन के लिए एकजुट संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहें। हम सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से आह्वान करते हैं कि वे संकीर्णता का परित्याग करें और केंद्र सरकार के हमलों के विरुद्ध एकजुट होकर मजदूर वर्ग के संघर्ष को आगे बढ़ाएँ।

(इफ्टू की राष्ट्रीय कमिटी के महासचिव टी. श्रीनिवास द्वारा 9 जुलाई 2025 को जारी वक्तव्य)

ट्रेड यूनियन केन्द्रों की हड़ताल का समर्थन करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने देश भर में जिलास्तरीय विरोध प्रदर्शन किये जिनमें एसकेएम द्वारा तय मांग पत्र प्रशासन को दिया तथा मजदूरों के संघर्ष का समर्थन किया। एआईकेएमएस इकाइयों ने देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रम किये। इन कार्यक्रमों में किसान कार्यकर्ताओं ने अच्छी संख्या में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एसकेएम–ट्रेड यूनियनों के संयुक्त विरोध प्रदर्शन में एसकेएम नेता और एआईकेएमएस के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष कॉमरेड सुशांत झा और अन्य एआईकेएमएस सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी कई केन्दों पर एआईकेएमएस संगठन ने विरोध प्रदर्शन किये।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) के प्रकाशन

न्यू डेमोक्रेसी	(अंग्रेजी)
प्रतिरोध का स्वर	(हिन्दी)
राइजिंग न्यू डेमोक्रेसी	(तेलुगु-तेलंगाना)
प्रजापंधा	(तेलुगु-आंध्र प्रदेश)
विप्लवी गण लाइन	(बंगला)
इंकलाबी साडा राह	(पंजाबी)
संग्रामी एकता	(ओडिया)

ओडिशा में भाजपा की डबल इंजन सरकार

गौरक्षकों के दलितों पर अमानवीय हमले के खिलाफ जनाक्रोश

उड़ीसा में आरएसएस-बीजेपी की 'डबल इंजन' की सरकार बनने के बाद से दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। असामाजिक तत्वों, बजरंग दल, भाजपा और प्रशासन के कथित गठजोड़ के कारण खास तौर पर दलितों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में वृद्धि आई है। ऐसे ही एक मामले में गंजाम जिले में मवेशी तस्करी के झूठे आरोप में दो दलित व्यक्तियों को क्रूरता पूर्वक पीटा और प्रताड़ित किया गया। उनका सर मुंडवाया गया, उन्हें घास खाने और नाले का पानी पीने पर मजबूर किया गया। धारकोट ब्लाक के अंतर्गत खारीगुम्मा गांव में सिंगीपुर fuokl hcyjuk; d ¼52 वर्ष) और बाबुला नायक (43 वर्ष) रविवार 22 जून 2025 को परिवार के वैवाहिक समारोह के लिए दहेज के तौर पर हरिपुर से एक गाय और दो बछड़े खरीद कर माल वाहक आटो रिक्शा पर लाद कर अपने गांव ला रहे थे, जब उनके साथ यह अमानवीय शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया।

हमलावरों ने अपने दुष्कृत्यों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाला। घटना के तुरंत बाद सोमवार को गंजाम में दलित महासभा की जिला कमेटी की आपात बैठक हुई और घटना की कड़ी निंदा की गई। आल इंडिया किसान मजदूर सभा (एआईकेएमएस) के राष्ट्रीय सचिव भालचंद्र सारंगी ने घटना के लिए बजरंग दल और असामाजिक तत्वों द्वारा निर्मित गौ रक्षकों को जिम्मेदार ठहराते हुए हमलावरों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की।

ओडिशा के गंजाम जिले में दो दलितों को गौ-तस्करी के झूठे आरोप में पीटने प्रताड़ित और अपमानित करने के मामले में धारकोटे पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गंजाम के एसपी ने घटना की बाबत कहा कि कुछ ग्रामीणों ने गौ तस्करी के संदेह में हमला किया था। वहीं दूसरी ओर गाय और बछड़े को लेकर जा रहे पीड़ित दलित ने बताया कि बजरंग दल के लोगों ने अवैध रूप से गायों को ले जाने का आरोप लगाते हुए उनका मोबाइल फोन और नगदी छीन ली। साथ ही पशुओं को छोड़ने के लिए रु. 30000 की भी मांग रखी, जब उन दोनों ने मना कर दिया तो उन्होंने उनके हाथ पैर बांध दिए और बेरहमी से पिटाई की। उनके सर में बुरी तरह से चोट आई है। उन्हें एक स्थानीय सैलून में ले जाया गया, जहां उनके सिर के आधे हिस्से को मुंडवा दिया गया और फिर उन्हें लगभग 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए गांव ले जाया गया, जहां उन्हें फिर पीटते हुए घास खाने और नाले का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया।

इस बीच दोनों पीड़ित किसी तरह घटनास्थल से भागने में सफल रहे और अपने गांव पहुंचे। उन्हें स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर उन्होंने धारकोट पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि उस दिन पुलिस कथित तौर पर वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त थी, इसलिए देर रात में ही एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में तेजी से आक्रोश फैलने लगा। दूसरे दिन सोमवार को गंजाम जिले में दलित महासभा के नेता सिंगीपुर पहुंचे और एक बड़ी विरोध सभा की और राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से दलितों पर अत्याचार बढ़ने पर चिंताई। मंगलवार को भी दलित महासभा ने राजस्व संभागीय आयुक्त कार्यालय के पास जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता 2023 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है।

गंजाम में दलित महासभा की आपात बैठक जिला संयोजक सांगाराम नायक की अध्यक्षता में सिंगीपुर गांव में हुई। उन्होंने कहा कि इस हमले में भाजपा और बजरंग दल से जुड़े लोग शामिल थे। सभा ने घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ितों को बचाने के लिए कार्रवाई में विलंब करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब से ओड़िशा में भाजपा सत्ता में आई है, दलितों, आदिवासियों व अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस घटना को अलग करके नहीं देखा जा सकता। भाजपा में असामाजिक तत्वों के साथ संघ परिवार और प्रशासन का गठजोड़ बन गया है, जो कमजोर लोगों पर हमले कर रहा है।

गौरक्षा के नाम पर माब लिंचिंग संघ और भाजपा का राजनीतिक हथकंडा है, जो लोकतंत्र और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। गोपालपुर रेप केस प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए महासभा का प्रतिनिधिमंडल, मंडल डीएम, एसपी और आईजी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेगा। वहीं मंगलवार को बहरामपुर में जिला रिवेन्यू कमिश्नर कार्यालय पर सभा हुई, जिसमें सांगाराम के अलावा एआईकेएमएस के राष्ट्रीय महासचिव भालचंद्र सारंगी भी शामिल हुए। सारंगी ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है बीते 1 वर्ष में 100 से अधिक छोटी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ही मामले सार्वजनिक हुए हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में जांच रिपोर्ट तलब की है। आयोग के अनुसार अगर मीडिया रिपोर्ट सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। इसलिए उड़ीसा के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक दो सप्ताह के अंदर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट में अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई तथा पीड़ितों को प्रदान किया गया मुआवजे (यदि कोई हो) का विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए।

देश के जिन राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें हैं, वहां गौ रक्षा के नाम पर दलितों और अल्पसंख्यकों की माब लिंचिंग के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस घटना ने देश के अन्य हिस्सों में हुए जातीय उत्पीड़न और गौरक्षा से जुड़े हिंसक मामलों की यादों को ताजा कर दिया है। हालांकि ओड़िशा में पूर्व में इस तरह की घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती रही हैं, लेकिन भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। गंजाम जिले में 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दोनों लोकसभा सीटें और अधिकांश विधानसभा सीटें जीती थीं। ताजा घटना कांग्रेस विधायक रमेश जेना के निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। इससे पूर्व गंजाम जिले में 15 जून को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गोपालपुर बीच पर 20 वर्षीय कालेज छात्र के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस तरह भाजपा के 1 वर्ष की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में दलितों व महिलाओं पर हमले और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं।

भड़ेवरा, करछना में दलितों का विरोध, फिर पुलिस व उच्च जाति सामन्तों का कहर।

29 जून 2025 को नगीना से सांसद चंद्रशेखर को उ0प्र0 पुलिस ने करछना तहसील के इसौटा गांव जाने से रोका तो उनका इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं ने भड़ेवरा बाजार में सड़क जाम कर धरना दे दिया। शाम 4 बजे पुलिस तथा स्थानीय दबंगों ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरु कर दिया। पुलिस का आरोप है कि पेट्रोल बम से उन पर हमला हुआ और कई वाहन कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त कर दिये। एसपी जमुनापार ने रासुका तथा गेंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी दी। कुल 75 आरोपियों को, जिनमें 8 नाबालिग हैं, मौके से तथा वीडियो से पहचान करा कर घरों से दबोचकर जेल भेज दिया।

पृष्ठभूमि

12 अप्रैल 2025 को इसौटा गांव में सामंतों ने दलित देवीशंकर की जलाकर हत्या कर दी थी। दलित अधिकार मोर्चा की 10 सदस्यीय टीम ने 20 अप्रैल को घटना की जांच की। देवी शंकर चमार जाति के थे और गांव के छोट्टन सिंह ठाकुर उन्हें गेहूं का बोझ इकट्ठा करने के लिए ले गए थे। जनविरोध के कारण मामले मे 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 8 गिरफ्तार हुए। देवीशंकर अजय सिंह का डेढ़ बीघा जोतता था। विवाद की जड़ का एक मसला है कि गांव की आधी आबादी आराजी संख्या 227 पर बसी है, जो खसरा में कुछ ठाकुरों के नाम दर्ज है। इस दबाव में लोगों को जमींदारों की बेगारी करनी पड़ती है। 2 वर्ष पूर्व भी 2 फरवरी 2023 को राजकुमार, उम्र 40 वर्ष की हत्या करके लाश कुएं में फेंक दी गयी थी जिस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई।

जांच दल ने मांग की थी कि आराजी संख्या 227 को आबादी घोषित किया जाए; राजकुमार की मौत की सीबीआई जांच किया जाए; मृतक देवी शंकर के आश्रित परिवार को आर्थिक सहयोग, किसान दुर्घटना बीमा, अंत्योदय (लाल) कार्ड व वृद्धा पेंशन दी जाए। पर सरकार ने आज तक कोई सहयोग नहीं किया।

29 जून की घटना के विषय में यह स्पष्ट होता है कि गतिरोध में पुलिस की जीप को साईड से पलट दी गई पर उस समय तक कोई मोटरसाईकिल क्षतिग्रस्त नहीं हुई। बाद में पुलिसकर्मियों और स्थानीय दबंगों ने बल प्रयोग कर, पत्थर फेंककर व लाठियां चलाकर भीड़ को तितर–बितर कर दिया। फिर इन हमलावरों ने मिलकर भड़ेवरा बाजार में खड़े वाहनों, बाइक को गिराकर व लाठी चलाकर तोड़ा। वीडियो से स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस भीड़ को मौजूद पुलिस अफसरों ने नहीं रोका, बल्कि पुलिसकर्मी खुद वाहन तोड़ रहे हैं। साथ में एक व्यक्ति चमार जाति को गाली दे रहा है।

यद्यपि पुलिस का आरोप भीम आर्मी सदस्यों पर है, यह स्पष्ट है कि पुलिस ने कई गांवों में 29 जून की रात में छापा मारकर पचासों निर्दोष लोगों को पकड़ा और अगले दिन सुबह 15 घंटे बाद उनका नाम एफआईआर में लिखकर जेल भेज दिया। इलाके में चमार व अन्य दलित जातियों में दहशत बन गयी जिससे गिरफ्तारी के डर से दूर दराज के गांव से भी दलित युवा पलायन कर गए, हाईस्कूल व इण्टर के दलित छात्रों ने स्कूल जाना बंद कर दिया।

इस घटना की जांच 6 जुलाई को दलित अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष श्यामधर, महासचिव सुरेश चन्द्र, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. गौतम, वन अधिकार संघर्ष समिति के भीम लाल, आर.वाई.ए. के सुनील मौर्य, दिशा छात्र संगठन के महाप्रसाद, व विधि छात्रों समेत 10 सदस्यों ने की। जांच में उपरोक्त सारी बातों की पुष्टि हुई। जांच से ठीक पहले एस.ओ. करछना ने जांच रोकने के प्रयास में, इलाके में जातीय तनाव का बहाना बताकर न जाने की हिदायत दी। घूरपुर थानेदार ने दल के लोगों के सामने माना कि शांति बनाए रखना और भय रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। जांच दल ने 8 गावों/बस्तियों में करीब 25 परिवारों से तथ्यों को जाना।

निश्कर्ष : उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्त जांच दल ने पाया कि पुलिस ने कई गलत दावे किये हैं जिसमें पेट्रोल बम के इस्तेमाल, पुलिस वालों का घायल होने, आदि हैं। पकड़े गए ज्यादातर लोगों का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय उच्च जाति के दबंगों ने जिनका इस बाजार में वर्चस्व है, ने स्थिति का फायदा उठाकर पुलिस से मिलकर दलितों को सबक सिखाने की कोशिश की है और व्यापक स्तर पर आस–पास के गांवों से अपने प्रतिद्वंदियों को, चमार व अन्य जाति के नौजवानों को निशाना बनाकर गिरफ्तार करवाया है। यह कदम इलाके में तेजी से चल रही जमीन की खरीद फरोख्त की स्थिति में भूमिहीनों और गरीबों की तथा गांव समाज की जमीनों पर कब्जा करने से भी जुड़ा हुआ है। इन

(शेष पृष्ठ 8 पर)

सिगाची के मालिकों को हत्या और अपराधिक लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार करो।

श्रम विभाग के अधिकारियों / फैक्ट्री इंस्पेक्टर को सुरक्षा मानकों को लागू न करने के लिए सजा दो।

केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियाँ लगातार हो रही मजदूरों की मौतों की मूल वजह हैं।

आज संगारेड्डी जिले, तेलंगाना के पतंचेरु औद्योगिक क्षेत्र में स्थित केमिकल फैक्ट्री – सिगाची इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड – में रिएक्टर विस्फोट की वजह से भीषण जनहानि हुई है। यह स्थान जुड़वां शहरों (हैदराबाद–सिकंदराबाद) के पास स्थित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे के समय फैक्ट्री में लगभग 150 मजदूर कार्यरत थे। रिएक्टर विस्फोट के चलते प्रशासनिक भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया।

विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगभग 60 लोग किसी तरह जान बचाकर फैक्ट्री परिसर से बाहर निकल पाए। जिलाधिकारी, तेलंगाना के श्रम मंत्री और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुँचकर निरीक्षण कर रहे हैं। अब तक प्राप्त समाचारों के अनुसार 30 शव बरामद हुए हैं, जबकि 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष स्रोतों से कोई सूचना नहीं मिल रही है क्योंकि सरकार और पुलिस द्वारा ही जानकारी जारी की जा रही है। सरकार ने किसी को भी घटनास्थल पर जाने से रोक दिया है – दुर्घटना स्थल से एक किलोमीटर दूर ही बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है – यहाँ तक कि मृत या घायल मजदूरों के परिजनों को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।

IFTU की राष्ट्रीय समिति मानती है कि इस प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाएँ केवल किसी कर्मचारी या प्रबंधक की व्यक्तिगत लापरवाही, असावधानी या तकनीकी गलती का परिणाम नहीं होतीं। हम मानते हैं कि यह धारणा पूंजीपतियों के अपराधों को ढंकने के लिए गढ़ी गई है। हमारी यूनियन का मानना है कि इस प्रकार की मानवीय हानि सरकार की औद्योगिक नीतियों के चलते बार–बार हो रही है। पूर्व श्रम कानूनों में ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ–साथ प्रबंधन की जवाबदेही भी निर्धारित की गई थी। यद्यपि उन कानूनों का भी ठीक से पालन नहीं हो रहा था, फिर भी ट्रेड यूनियनों के पास प्रबंधन को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ने का कानूनी अवसर था। लेकिन अब नए श्रम संहिताओं (**Labour Codes**) के तहत यह कानूनी स्पेस समाप्त किया जा रहा है। इन पुराने कानूनों को रद्द कर चार श्रम संहिताएँ लाए जाने के संदर्भ में, ऐसे अवसर और विकल्प खोते जा रहे हैं।

हाल ही में श्रम संहिताएँ लागू होने से पहले ही लगातार हो रहीं इस प्रकार की दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं – इससे समझा जा सकता है कि आगे कितना गंभीर नुकसान होगा।

IFTU की राष्ट्रीय समिति आरोप लगाती है कि यह कोई दुर्घटना नहीं, कोई आकस्मिक आपदा नहीं, बल्कि मजदूरों की सरेआम हत्या है। **IFTU** यह मांग करती है कि इस औद्योगिक दुर्घटना में फैक्ट्री प्रबंधन को पहला अभियुक्त और सरकार को दूसरा अभियुक्त बनाया जाए तथा उन पर आपराधिक लापरवाही और हत्या का मुकदमा दर्ज कर न्यायिक जांच शुरू की जाए।

IFTU का मानना है कि इस प्रकार की औद्योगिक दुर्घटनाओं में मुआवजा केवल एक अस्थायी राहत है, समाधान नहीं। हमारा यह भी मानना है कि मुआवजा सरकार की जनविरोधी नीतियों को छुपाने का जरिया नहीं बनना चाहिए।

हम मांग करते हैं कि तेलंगाना सरकार इस दुर्घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कराए।

हम यह भी मांग करते हैं कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में लगातार हो रही इस तरह की औद्योगिक दुर्घटनाओं की स्थिति को देखते हुए एक विशेष न्यायिक जांच कराए।

हम सभी ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक ताकतों से अपील करते हैं कि वे इस दुर्घटना की तीव्र निंदा करें तथा इसके दोषियों को सजा की मांग पर आंदोलन करें।

(इफ्टू की नेशनल कमेटी की अध्यक्ष अपर्णा तथा महासचिव टी. श्रीनिवास द्वारा 30 जून 2025 को जारी)

इजराइल–ईरान युद्धविराम पर भाकपा (माले)–न्यू डेमोक्रेसी का वक्तव्य

(पृष्ठ 1 का शेष)

जनता को फिलिस्तीनियों के जनसंहार के दोषियों को सजा दिलवाने और उनके राष्ट्रीय अधिकारों के समर्थन में आना चाहिए। जब तक फिलिस्तीन को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मध्य पूर्व में शांति संभव नहीं है।

भाकपा (माले) – न्यू डेमोक्रेसी देश की जनता, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों, वामपंथी और क्रांतिकारी संगठनों से आह्वान करती है कि गाजा में युद्ध समाप्त करने और फिलिस्तीनियों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करें। हमें जायोनिस्ट हत्यारों और उनके पश्चिमी साम्राज्यवादी संरक्षकों के खिलाफ दुनिया भर के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा।

(भाकपा (माले)-न्यू डेमोक्रेसी द्वारा दिनांक: 24.06.2025 को जारी)

पटना : ईरान पर इजराइल–अमेरिका हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

विरोध प्रदर्शन में भाग लेते सी.पी.आई.(एम-एल)-न्यू डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता

जन अभियान बिहार के आवाहन पर 24 जून को राजधानी पटना में एक मार्च निकाला गया। इसमें अनेक संगठनों के कार्यकर्ताओं तथा बुद्धिजीवियों ने भाग लिया जिनमें सी.पी.आई.(एम–एल)–न्यू डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता शामिल थे। यह प्रदर्शन अमेरिका–इजराइली गठजोड़ द्वारा इरान पर हमले तथा गाजा में फिलीस्तीनियों के जनसंहार के खिलाफ किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने इरान पर हमले के लिए इजराईल तथा अमेरिका के खिलाफ नारे लगाये तथा गाजा में फिलीस्तीनियों के जनसंहार के दोषी जियोनवादी इजराईली शासकों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने फिलीस्तीनियों के राष्ट्रीय अधिकारों का समर्थन किया तथा पश्चिम तट में फिलीस्तीनियों की हत्याओं की तीव्र आलोचना की।

पुलिस व उच्च जाति सामन्तों का कहर

(पृष्ठ 7 का शेष)

मामलों को लेकर कई वारदातें करछना तहसील में सामने आ रही हैं। तहसील प्रशासन और पुलिस खुलडकर दबंगों का साथ देती रही है।

जांच दल ने यह भी पाया कि एक ओर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी करते समय कोई भी स्वतंत्र साक्षी मौजूद नहीं था, महिला पुलिस भी मौजूद नहीं थी, नाबालिग बच्चों को आधी रात को उनके घरों से हिरासत में लिया गया और बाल कल्याण समिति को कोई सूचना नहीं दी गयी। यह सभी गिरफ्तारियां केवल जाति की पहचान के आधार पर की गयीं, घटना की पुलिस ने कुछ वीडियो रिकार्डिंग की है पर किसी भी गिरफ्तारी की कोई वीडियो रिकार्डिंग नहीं की है। कुछ घरों में 29 की रात को विरोध होने पर पुलिस ने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जातिसूचक गालियां दीं, बेटियों पर पिस्टल तानी, घर के दरवाजे तोड़े और गिरफ्तार किये गए लगभग सभी लोगों के स्मार्ट फोन जब्त कर लिए।

जांच दल ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपकर मांग की है कि : इस पूरी घटना की न्यायिक जांच कराई जाए; पीड़ित परिवारों से अपना बयान दर्ज कराने की अपील की जाए; बयान के आधार पर पकड़े गये सभी नाबालिग और निर्दोष लोगों को बिना शर्त, बिना जमानत के तुरन्त रिहा किया जाए; दर्ज एफआईआर में उपरोक्त विसंगतियों और कानूनी काम में त्रुटियों के मद्देनजर थानाध्यक्ष करछना को तत्काल सस्पेंड किया जाए; रात में गिरफ्तारी के लिए छापा मारते समय पुलिस द्वारा किये गए सभी दुर्व्यवहार का अलग एफआईआर दर्ज कर आरोपितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए; वाहनों को क्षतिग्रस्त करने वाले पुलिस व अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की जाए; क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों को मुआवजा दिया जाए; सभी जब्त मोबाइल फोन वापस किये जाएं और इलाके के गांवों में वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा कराकर आम जनता को उनकी हिफाजत का आश्वासन दिया जाए।

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar
Monthly
Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019
Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87
Book Post
To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से मुद्रित तथा प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार